यालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान

गुरमीत सिंह बनाम् करनैलसिंह वगैरह

करण संख्या– 03/2019

करण – अर्न्तगत धारा 212 आरटीए.

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
08-01-19	आज यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से जरिये वकील एक प्रार्थना–पत्र धारा **212 आरटीए.** के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है तथा अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रश्नगत भूमि वाके चक– 3 पी तहसील अनूपगढ मुरब्बा नं0 43 पत्थर सं0– 200/54 का किला नम्बर 1ता3, 8ता13, 18ता23, 25 का कुल 3.090 हैक्टर कृषि भूमि की आगामी आदेश तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का पक्षकारान को आदेश दिया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 29/01/2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	
29/1/19	वकील प्रार्थी उपस्थित। नोटिस/सम्मन की तामिल वापस नहीं। इंतजार होकर पत्रावली आइंदा दिनांक 13/3/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

12/2/19

आज यह पत्रावली मूल वाद में राजीनामा पेश
करने पर पेशी में ली गई। मूल वाद का
निस्तारण हो चुका है इसलिए प्रा० पत्र
का कोई औचित्य नहीं होने के कारण प्रा०
पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़